Frequently Asked Questions (FAQ)

प्रश्न 1. क्या दिनांक 01.04.2024 से केवल eRC व eDL ही प्राप्त होंगे ?

उतरः– जी हां। दिनांक 01.04.2024 से ड्राइविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन की किसी भी सेवा के लिए केवल eDL व eRC ही जारी होंगे।

प्रश्न 2. क्या मैं अपनी eDL व eRC घर बैठे डाउनलॉड कर सकता हूं?

उतरः– जी हां। आप घर बैठे मोबाईल पर प्राप्त लिंक/परिवहन सेवा पॉर्टल से eDL व eRC डाउनलॉड कर सकते हैं।

प्रश्न 3. क्या मुझे eDL व eRC के लिए कोई अतिरिक्त फीस देनी होगी ?

उतरः– जी नहीं। आपको इसकी कोई अतिरिक्त फीस नही देनी होगी जो फीस eDL व eRC के लिए पूर्व में देय थी, अब भी वही देय होगी। स्मार्ट कार्ड की 200/– रूपये फीस अब देय नहीं होगी।

प्रश्न 4. क्या मुझे eDL व eRC प्राप्त करने के लिए परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता है?

उतर :– जी नहीं। आपको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 5. मुझे eDL व eRC का प्रिन्ट किस प्रकार से प्राप्त करना है ?

उतर :– आप अपने स्वयं के स्तर पर, किसी भी नजदीकी ई–मित्र केन्द्र से अथवा किसी भी परिवहन कार्यालय में स्थापित ई–मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन से eDL व eRC का प्रिन्ट प्राप्त कर सकते हैं । उक्त प्रिन्ट पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 6:– मैं eDL व eRC को किस प्रकार अपने पास में रख सकता हूं?

उतरः– eDL व eRC को Digilocker एवं m-parivahan पर डिजिटल /इलैक्टॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इसके साथ ही पीडीएफ फॉर्म में अपने मोबाइल पर अथवा उसके प्रिन्ट को भी रखा जा सकता है जिसको क्यूआर कोड द्वारा आसानी से वैरिफाई किया जा सकता है।

प्रश्न 7:– eDL व eRC से हमें क्या फायदा होगा?

उतरः– eDL व eRC से इनके खोने, फटने या चोरी होने की समस्या नहीं रहेगी।

प्रश्न 8:– eDL व eRC से क्या कोई फीस में कमी होगी?

उतरः– जी हां। eDL व eRC से आपको स्मार्ट कार्ड के लिए देय 200 रूपये की फीस अब नहीं देनी होगी।

प्रश्न 9:– क्या eDL व eRC की प्रमाणिकता की पुष्टि हो सकेगी?

उतर:– जी हां। eDL व eRC पर QR Code उपलब्ध होगा जिससे इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि किसी भी QR Code स्केनर द्वारा की जा सकती है।

प्रश्न 10:– मेरे eDL व eRC का कोई अन्य व्यक्ति प्रिन्ट लेकर गलत इस्तेमाल तो नही कर सकता?

उतर:– जी नहीं। आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाईल पर ओटीपी आयेगा जिसे दर्ज करने के पश्चात ही आप eDL व eRC को डाउनलॉड कर सकेगें।

प्रश्न 11:– क्या eDL व eRC को परिवहन विभाग व पुलिस विभाग द्वारा स्वीकार किया जायेगा?

उतर:– जी हां। eDL व eRC पूरे भारत में मान्य है। केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989 के नियम 139 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार किसी भी राज्य के परिवहन विभाग, पुलिस विभाग व अन्य जांच एजेन्सियों द्वारा eDL व eRC को डिजिटली जांच कर मान्य किया जायेगा।

प्रश्न 12:– eDL व eRC को कितनी बार डाउनलॉड कर सकते है?

उतर:– eDL व eRC को आप एक बार रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी का प्रयोग करते हुए डाउनलोड कर सकते है।

प्रश्न 13:– eDL व eRC को डाउनलॉड व प्रिन्ट करने के लिए विभाग की ओर से क्या सुविधा रहेगी?

उतर:– इसके लिए सभी परिवहन कार्यालयों में ई–मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जायेगी जिससे eDL व eRC का प्रिन्ट पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर निर्धारित शुल्क दे कर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 14:– eDL को डाउनलोड करने के किस प्रकार के विवरण की आवश्यकता होगी?

उपर:– eDL को डाउनलोड करने के लिए आवेदक के Application Number/ Driving Licence Number, Date of Birth व रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 15:– eRC को डाउनलोड करने के किस प्रकार के विवरण की आवश्यकता होगी?

उतर:– eRC को डाउनलोड करने के लिए Vehicle Number व Chassis Number के अन्तिम पांच अंक व रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 16:– क्या वाहन पंजीयन एवं लाईसेंस संबंधी सेवाओं हेतु कार्यालय में मूल पंजीयन एवं लाईसेंस जमा करवाने की आवश्यकता होगी?

उतर:– जी नहीं। वाहन पंजीयन एवं लाईसेंस संबंधी सेवाओं (अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों एवं ड्राइविंग लाईसेंस के अतिरिक्त) में मूल पंजीयन एवं लाईसेंस जमा करवाने की आवश्यकता नही होगी?

प्रश्न 17:— क्या eDL व eRC को प्रिन्ट करवाना जरूरी है?

उतरः— जी नहीं। आप अपनी सुविधा के लिए प्रिन्ट निकाल सकते है अन्यथा इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल फॉर्म में दिखाने पर eDL व eRC वैधानिक रूप से मान्य है।

प्रश्न 18:— क्या अब eDL व eRC को परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य प्रवर्तन ऐंजेसियों द्वारा निलम्बित/निरस्त नही किये जायेगें ?

उतरः— अब Driving Licence एवं Registration Certificate को जब्त एवं निलंबन/निरस्त किये जाने की अनुशंसा /कार्यवाही वाहन एवं सारथी पोर्टल पर ऑनलाईन ही की जाएगी। प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा डिजिटल चालान बनाए जाएंगे, DL व RC को digitally impound किया जाएगा।

प्रश्न 19:— आमजन को कैसे पता चलेगा की मेरा eDL व eRC बनकर तैयार हो गया है?

उतरः— इस हेतु विभाग द्वारा आपके रजिस्ट्रर्ड मोबाईल नम्बर पर एक SMS के रूप में लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक द्वारा eDL व eRC प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 20:— क्या eDL व eRC को अन्य राज्यों में वैध माना जायेगा ?

उतरः— जी हां। केन्द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 139 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण—पत्र को प्रस्तुत करना वैधानिक रूप से मान्य है।

प्रश्न 21:— क्या मुझे स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने का विकल्प होगा ?

उतरः— जी नहीं। दिनांक 01.04.2024 से स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे।

प्रश्न 22:— दिनांक 31.03.2024 तक जमा स्मार्ट कार्ड की फीस पर स्मार्ट कार्ड जारी होगा ?

उतरः— ड्राइविंग लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के दिनांक 31.03.2024 तक निस्तारित आवेदनों पर ही स्मार्ट कार्ड जारी होंगे। दिनांक 01.04.2024 से निस्तारित आवेदनों पर केवल eDL व eRC ही जारी होंगे तथा आवेदक को स्मार्ट कार्ड की जमा फीस निर्धारित प्रफोर्मा में सूचना देने के उपरान्त आवेदन के बैंक खातें में वापस लौटाई जाएगी।

प्रश्न 23:— यदि वाहन 4.0 /सारथी पोर्टल पर मेरा गलत मोबाइल नम्बर दर्ज है तो क्या मैं उसे सही करवा सकता हूँ एवं कैसे ?

उतरः— जी हां। आप परिवहन पोर्टल (https://parivahan.gov.in) के सिटीजन सेवा पर जाकर अथवा m-parivahan पर आधार सत्यापन के जरिए अपना मोबाइल नम्बर परिवर्तित करवा सकते हैं।

प्रश्न 24:— ग्रामीण क्षेत्र में नेट कनेक्टिविटी एवं स्मार्ट फोन नहीं होने पर आवेदनकर्ता eDL व eRC कैसे प्राप्त करेगा ?

उतरः— आवेदनकर्ता किसी भी नजदीकी ई—मित्र केन्द्र से अथवा किसी भी परिवहन कार्यालय में स्थापित ई—मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन से स्वयं के साधारण मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर eDL व eRC का प्रिन्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य के लिए स्मार्ट फोन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 25:— eDL व eRC को प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा जब्त एवं रिलीज किस प्रकार किया जाएगा?

उतर:— प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा ई— चालान पोर्टल के जरिए चालान दर्ज किए जा रहे हैं इसमें eDL व eRC को इलेक्ट्रोनिकली जब्त करने का प्रावधान है। प्रकरण के निस्तारण के उपरान्त जब्त दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रोनिकली रिलीज कर दिया जाएगा।

प्रश्न 26:— eDL व eRC के इलेक्ट्रोनिकली जारी होने की प्रक्रिया क्या है ?

उतर:— eDL व eRC के इलेक्ट्रोनिकली जारी होने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

क्र.स.	e-Registration Certificate	e-Driving License
1.	परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं	परिवहन पोर्टल की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं
2.	इसके पश्चात् Online Services में Vehicle Related Services पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Online Services में Driving License Related Services पर क्लिक करें
3.	स्क्रीन में पंजीयन नंबर दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Driving License में Print Driving License पर क्लिक करें
4.	स्क्रीन में DOWNLOAD DOCUMENT TAB पर क्लिक करें, इसके पश्चात् प्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें	उक्त स्क्रीन पर ड्राईविंग लाईसेंस नंबर अथवा आवेदन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करें तथा Proceed पर क्लिक करें
5.	स्क्रीन पर अपने वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम पांच नंबर को दर्ज करें	इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें
6.	इसके पश्चात् Generate OTP पर क्लिक करें	इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें
7.	इसके पश्चात् Show Detail पर क्लिक करें	अब स्क्रीन पर e-DL प्रदर्शित होगा जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
8.	अब स्क्रीन पर e-RC प्रदर्शित होगी जिसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं	